

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/स्था/पद 4-4/2012...../ रॉची, दिनांक :/

शुद्धि पत्र

विभागीय पत्रांक-133 दिनांक 10.01.2013 की कंडिका-1 में अंकित सेवा संहिता के "नियम-99" के स्थान पर "नियम-96" पढ़ा जाय।

2. शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
3. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, रॉची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/राज्य के सभी उपायुक्त/माननीय मंत्री जल संसाधन के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/मत्स्य विभाग/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, रॉची/प्रबंधक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, रॉची/विभागान्तर्गत सभी संयुक्त सचिव/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित सभी कनिष्ठ अभियंता/बायोडाटा कोषांग/प्रशाखा 01, 02 एवं 8A एवं 8B को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

7100

रॉची, दिनांक :-

8-7-14

प्रतिलिपि:- वेब मनेजर को विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र०)

8/7/14